(2) मैसर्स जी०टी०सी० लि०

(3) मैसर्स नेशनल तम्बाकू कंपनी / डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लि०

(4) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०

(5) मैसर्स मेहता ट्रेडिंग हाऊस प्रा० लि०

(6) मैसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लि०

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (सीगेट), उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पांच वर्षों से अधिक अवधि से कोई भी मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

अधिकरण और न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन और अपील के स्तर पर पड़े मामलों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन में विशेष रूप से कुछेक ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए जोकि जटिल स्वरूप के हैं, सामान्य न्याय-निर्णायक की नियुक्ति करना, विभाग का प्रतिनिधित्व करने हेतु वरिष्ठ वकील की नियुक्ति करना और शुल्क की विलम्बित राशि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करना शामिल है।

Balance of payments position

879. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:
SMT. BASANTI SARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the Balance of Payments (BOP) position as on 1st July, 1996;

(b) the position of remittances from abroad;

(c) the estimates for the current year; and

(d) what impact will the policies of Government have on the BOP?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The overall balance of payments position during the first quarter of the current financial year ending June, 1996 shows an increase in foreign currency reserves of US $ 482 million.

(b) and (c) The net inflow of private transfers, which includes remittances from abroad, is provisionally estimated to be about US $ 6150 million in 1995-96. Inflow of private transfers is expected to remain buoyant in the current financial year.

(d) The policies of the new Government are oriented towards achieving the objective of a viable balance of payments based on strong competitiveness and by attracting non-debt creating foreign investment flows, especially in the infrastructure sector such as power, telecommunication, roads and ports.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा औद्योगिक कंपनियों को प्रदान की गई सहायता

880. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा देश का बड़ी और संयुक्त औद्योगिक कंपनियों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कंपनी-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों की विभिन्न नयी परियोजनाओं हेतु राशि का असमान वितरण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.1994, 31.3.1995 और 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा 10 शीर्ष औद्योगिक समूहों को

बकाया पोर्टफोलियो के अनुसार दी गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(रुपये करोड़ में)

की स्थिति के अनुसार	कुल बकाया ऋण और निवेश
31.03.1994	3755.30
31.03.1995	3931.20
31.03.1996	4425.31

तथापि बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत संघटकों के बारे में सूचना प्रगट नहीं की जा सकती है।

(ग) जी नहीं। आई डी बी आई ने सूचित किया है कि सावधि ऋण का संवितरण सामान्यतः परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा ऋण स्वीकृति से संबंधित विभिन्न पूर्व संवितरण की विशेष शर्तों तथा अन्य शर्तों के अनुसार प्रवर्तक के अनुरूपीय अंशदान के आधार पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) आई डी बी आई सामान्य शर्तें निर्धारित करता है, जो सभी मामलों में समान रूप से लागू होती हैं। अलग-अलग मामलों के आधार जहां यह महसूस किया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और चलाने अर्थात प्रबंधन को सुदृढ़ करने, मशीनरी सप्लायरों, सहयोगकर्ताओं द्वारा निष्पादन गारंटी, आदि के लिए विशेष ध्यान देने / शर्तें रखने की आवश्यकता है, वहां पर विशेष शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

प्रश्न के भाग (क) से (घ) के संबंध में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यू टी आई) से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुमत जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Evasion of Income Tax by Reliance Industries

881. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income Tax Department has discovered that Reliance Industries has evaded income tax to the tune of Rs. 80 crore;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to set up a committee with representatives of the Central Bureau of Investigation, Revenue Intelligence, Securities and Exchange Board of India and Income Tax authorities to further investigate the case as the case involves share transactions?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Income Tax Department has raised a demand aggregating to Rs. 76.25 crores on the 23 satellite companies of Reliance Industries Ltd. relating to the Assessment Year 1993-94.

(c) At present there is no proposal to set up a committee with representatives of CBI, Revenue Intelligence, SEBI & Income Tax authorities.

यात्री विमान सेवाओं में सुधार

882. श्री एस.एस. सुरजेवालाः
श्री अजीत जोगीः

क्या नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान यात्री विमान सेवाओं में सुधार, विमान-बेड़े के बेहतर उपयोग, विमानों के रख-रखाव और विमान सेवा-प्रचालन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है; और